पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः श्रावण29, 1944
शनिवारः 20 अगस्त 2022

सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को और अधिक उत्तरदायी एवं सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धः रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह

श्री राजनाथ सिंह ने सभी संबंधित को समय पर न्याय दिलाने के लिए काम करने का अनुरोध किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त एवं उत्तरदायी बनाने और इस दिशा में आवश्यक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण प्रधान पीठ बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'अंतर्निरीक्षण:सशस्त्र बल न्यायाधिकरण' (इन्ट्रोस्पेक्शनः आर्म्ड फॉर्सिज ट्राइब्यूनल) नामक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र और न्यायिक अधिकारियों का एक मजबूत स्तंभ है, वकील इस न्यायिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। उन्होंने कहा कि लोग न्यायपालिका का दरवाजा तब खटखटाते हैं जब उनके लिए अन्य सभी विकल्प बंद हो जाते हैं और मजबूत न्यायपालिका वितरण प्रणाली 'सुराज' या सुशासन का आधार होती है।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विविध मामलों से निपटने और लंबित मामलों के निपटान के लिए क्षेत्र/डोमेन विशिष्ट न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वादियों को हमारी न्यायपालिका पर भरोसा है और न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ट्राइब्यूनल में रिक्तियों को भरने जैसे आवश्यक उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को यह भी आश्वासन दिया कि सरकार पूर्व सैनिकों, सेवारत कार्मिकों की त्वरित न्याय प्रदान करने की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संगोष्ठी से उत्पन्न सुझावों पर विचार करेगी।

रक्षा मंत्री ने सामान्य रूप से न्यायिक प्रणाली और विशेष रूप से सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए 'न्याय में देरी, न्यायसे

वंचित' और 'जल्दी में न्याय, न्याय को दफनकरना' के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया क्योंकि समय पर न्याय प्रदान करने से न केवल सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर बोझ कम होगा, बल्कि प्रणाली में हमारे सैनिकों का विश्वास भी मजबूत होगा।

श्री राजनाथ सिंह ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के पास मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों है, जबकि आज भी अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ विकसित देशों में उनके पास केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण सशस्त्र बलों के कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की शिकायतों के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

श्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर यह अंतर्निरीक्षणसंगोष्ठी आज और अधिक महत्वपूर्ण है जब देश 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है और भारत को विकसित देश बनाने, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने, हमारी विरासत पर गर्व करने और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'पांचप्रण' के आह्वान को याद किया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय परंपरा में अंतर्निरीक्षण या अवलोकन को बहुत महत्व दिया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भी सेमिनार में इस बात पर जोर दिया कि सरकार लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जैसे न्यायाधिकरण लंबित मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस अवसर पर सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी और नौसेनाध्क्ष एडमिरल आर हरि कुमार भी मौजूद थे।

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन ने मुख्य भाषण दिया।

एबीबी/डीएस